Regional Office, Jaipur (North)
Rajasthan State Pollution Control Board
Opp. Road No 5, VKIA, Sikar Road, Jaipur
E-mail ID : rorpcb.jaipur@gmail.com
Phone: 0141-2850100

Registered/E-mail

RSPCB/ROJPN/Legal/148/869 Date: 23/07/2021

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Central Zone,
Bhopal.

Subject: Compliance report of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi order dated 20/05/2021 in the matter of Rajendra Tiwari V/s Union of India & Ors. Original Application No. 11/2021 (CZ).

Reference: 1. Hon'ble NGT order dated 20/05/2021.

2. Joint survey report dated 25/06/2021

Sir,

With reference to the above subject matter, it is submitted that the Hon'ble Tribunal has passed order dated 20/05/2021which inter-alia says as follows:

"8. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present application, from a Joint Committee consisting of:-

I. Collector, District Jaipur, Rajasthan

II. The Chief Wildlife Warden, Forest Department, Government of Rajasthan, Aranya Bhavan, Jhalana Institute Area, Jhalana, Doongri, Jaipur

III. Rajasthan State Pollution Control Board.

9. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support."

Accordingly, following representatives nominated by respective departments conducted the joint survey:

I. Shri Shankar Lal Saini, ADM, Jaipur (vide Collector letter dated 09/06/2021 (copy enclosed))

II. Shri Upkar Borana, DCF, WL, Zoo, Jaipur representative of CCF (Wildlife), Jaipur (vide Forest Department letter dated 14/06/2021 (copy enclosed)) and

III. Shri Vijay Sharma, Regional Officer, Jaipur (North), RSPCB (Vide Head Office, RSPCB letter dated 03/06/2021 (copy enclosed))

In compliance of the aforesaid directions passed by the Hon'ble Tribunal, the joint committee has conducted its survey on dated 25/06/2021. The copy of joint survey is enclosed with this letter for ready reference of this Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely,

Encl: As above.

(Vijay Sharma)
Regional Officer,
Jaipur (North)

माननीय हरित प्राधिकरण मुख्य पीठ नई दिल्ली में मूल प्रार्थना पत्र क्रमांक 11/2021 में आदेश दिनांक 20.05.2021 के क्रम में संयुक्त समिति के लिये साइट विजिट रिपोर्ट दिनांक 25.06.2021

माननीय हरित प्राधिकरण मुख्य पीठ नई दिल्ली में श्री राजेन्द्र तिवाडी के द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र क्रमांक 11/2021 में आदेश दिनांक 20.05.2021 के द्वारा निम्नांकित की संयुक्त समिति गठित कर समिति से रिपोर्ट चाही गई है।

1. कलक्टर, जिला जयपुर राजस्थान
2. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, वन विभाग, राजस्थान सरकार
3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

नाहरगढ किले के निरीक्षण हेतु निम्नांकित को संयुक्त समिति का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर
3. क्षेत्रीय अधिकारी,जयपुर (उत्तर) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर

दिनांक 25.06.2021 को नाहरगढ किले का निरीक्षण किया गया। जिसमें उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चिडियाघर, जयपुर मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुये।

नाहरगढ किले एवं इसके परिसर के निरीक्षण एवं निरीक्षण दल के समक्ष पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार उक्त विभाग के द्वारा नाहरगढ किले में पर्यटकों हेतु निम्नांकित सुविधाऐं विकसित की गई है अथवा संचालित की जा रही है।

क्र सं	फर्म का नाम/अनुबन्धकर्ता	गतिविधि	गतिविधि प्रारम्भ होने की दिनांक	अनुबन्ध दिनांक	अनुबन्ध समाप्ति दिनांक	आदेश क्रमांक/ दिनांक
1.	मैसर्स अनोखी बिल्डर्स, जयपुर (निदेशक, निदेशालय)	फाईन डाईन रेस्टोरेन्ट	23.04.2015	23.04.2015	22.04.2025	4683/ 23.04.2015
2.	मैसर्स कृष्णम, जयपुर (निदेशक, निदेशालय)	फूड कोर्ट रेस्टोरेन्ट	19.11.2020	19.11.2020	18.11.2025	11183/ 19.11.2020
3.	मैसर्स रूपसिंह कान्ट्रेक्टर (अधीक्षक)	टेलिस्कोप 1 नग	21.11.2019	21.11.2019	20.11.2021	667/ 17.11.2019
4.	मैसर्स एन्टरटेनमेन्ट 7 किएटिव वेन्चर्स प्रा. लि. मुम्बई (निदेशक, निदेशालय)	सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम	16.03.2016	16.03.2016	15.03.2026	2118/ 22.02.2021
5.	मैसर्स महादेव एसोसियेट्स (अधीक्षक)	पार्किंग	15.02.2019 (पार्किंग दो स्थानो पर है जिसमें से पक्का वाहन पार्किंग स्थल वर्ष 2000 में प्रारम्भ किया गया था)	15.02.2019	14.02.2022	96/ 12.02.2019
6.	M/s Trip Origin Resort & Hotels LLP Mumbai (निदेशक, निदेशालय)	SEGWAY	14.07.2017	14.07.2017	13.06.2022	4520/ 24.04.2017

7.	M/s Krishnam Jaipur (अधीक्षक)	Kiosk at Parking Area	27.07.2018	27.07.2018	26.07.2021	252/ 11.07.2018
8.	SBI ATM	ATM	05.03.2020	05.03.2020	18.05.2025	2416/ 05.03.2020
9.	RTDC	पडाव रेस्टोरेन्ट	1992	1992	राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित	
10.	पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग	कार्यालय तथा पर्यटकों के लिए बुकिंग ऑफिस				

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि शिक्षा (4) विभाग, राजस्थान सरकार की सूचनायें दिनांक 10.09.1968 के द्वारा नाहरगढ को राजस्थान स्मारक, पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 3 की उप धारा (4) के अर्न्तगत राजकीय महत्व का मानकर उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि 12.12.1968 से संरक्षित घोषित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 22.08.1997 को दृष्टिगत रखते हुये जिला कलक्टर, जयपुर के द्वारा आदेश क्रमांक R-6/(24)93/6784 दिनांक 21.08.1998 से नाहरगढ अभ्यारण्य के वर्णित क्षेत्र के अधिकारों का निर्धारण किया गया है। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 15 में उल्लेख किया गया है कि पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिये ''वर्णित क्षेत्र'' में जो भी परियोजना निर्मित की गई है वह यथावत रहेगी और उनके प्रयोग के अधिकार भी यथावत रहेंगे। भविष्य की परियोजना बनाने अथवा उनके प्रयोग के अधिकार भी यथावत रहेंगे। जिला कलेक्टर, जयपुर आदेश क्रमांक R-6/(24)93/6784 दिनांक 21.08.1998 के उक्त बिन्दु के क्रम में नाहरगढ़ किले में पर्यटन गतिविधियां संचालित की जा रही है।

वन विभाग के प्रतिनिधि उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर के द्वारा निरीक्षण दल के समक्ष निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किये गये।

1. राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 20 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञप्ति दिनांक 21.11.1961 के द्वारा वन खण्ड आमेर–54 की भूमि को दिनांक 15.01.1962 से प्रभाव रखते हुए आरक्षित वन घोषित किया गया। उक्त विज्ञप्ति के संलग्न अधिकार की संक्षिप्त सूची के परिशिष्ट के अनुसार नाहरगढ किला आमेर 54 वनखण्ड में है।
2. वनखण्ड आमेर–54 की पत्रावली में संलग्न सूची वन आबादी के पारिशिष्ट में किला नाहरगढ को .आबादी बताया गया था तथा उसमें रहने वाले मुखिया का नाम श्री सवाई मानसिंह अंकित किया गया था।
3. राजस्व (ग्रुप–8) विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा अधिसूचना क्रमाक एफ 11 (39) राल–8180 दिनांक 22.09.1980 के द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। उक्त अधिसूचना के अनुसार नाहरगढ किला नाहरगढ अभ्यारण्य में है।

4. जिला कलेक्टर जयपुर के द्वारा आदेश दिनांक 21.08.1998 के द्वारा नाहरगढ अभ्यारण्य के वर्णित क्षेत्र के संबंध में अधिकारों का निर्धारण किया गया है। उक्त आदेश में "वर्णित क्षेत्र" को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

'' वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्टशन एक्ट, 1972 की धारा 18 के तहत जारी की गई अधिसूचना दिनांक 22.09.1980 एवं धारा 21 के तहत दिनांक 15.11.1997 की उद्घोषणा में अंकित क्षेत्र में से राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 के तहत वर्ष 1961 की अधिसूचना के तहत घोषित ''आरक्षित वन क्षेत्र'' को हटाते हुये शेष भूमि को वर्णित क्षेत्र माना जाता है।''

(विजय शर्मा)
क्षैत्रीय अधिकारी, जयपुर (उत्तर)
राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जयपुर

(उपकार बोराना)
उप वन संरक्षक, वन्यजीव,
चिडियाघर, जयपुर

(शंकर लाल सैनी)
अति0 जिला कलेक्टर(दक्षिण)
जयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांकआर–1 / (13)21 / पर्या0 / 3379 — दिनांक 9/6/21

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20.05.2021 के क्रम मे उनवानी प्रकरण राजेन्द्र तिवाड़ी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य मे जांच करने हेतु संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। जिसमे जिला कलक्टर जयपुर के प्रतिनिधि अति0 जिला कलक्टर (उत्तर), जयपुर होंगे।

उपर्युक्त कमेटी माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसीपल बैंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 20.05.2021 के अनुसार मौका निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करेगी तथा की गई कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट दो सप्ताह मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगी।

(अन्तर सिंह नेहरा) 7/6/21
जिला कलक्टर
जयपुर

क्रमांक आर–1 / (13)21 / पर्या0 / 3380 — दिनांक 9/6/21

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन्यजीव संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान सरकार, अरण्य भवन झालाना डूंगरी जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, जयपुर, पर्यावरण मार्ग, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3. अति0 जिला कलक्टर (उत्तर), जयपुर।

जिला कलक्टर
जयपुर

Office of the Pri.Chief Conservator of Forest and Chief Wildlife Warden, Aranya Bhawan, Rajasthan, Jaipur

No. F 8(225)Vidi/cwlw/2021/ Dated

To,

Chief Conservator of Forest,
(Wildlife) Jaipur.

Sub:- Hon'ble National Green Tribunal order dated 20-05-2021 in Original application no. 11/2021 Rajendra Tiwari Vs Union of India&ors.

Ref:-Rajasthan State Pollution Control Board letter no. F.10(357)RPCB/Legal /NGT-Bhopal/2021/973-75 Date 03-06-2021.

Sir,

With refrence to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT by orders dated 20-05-2021 directed insert-alia as follow:-

" 8. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present application, from a Joint committee consisting of:-

I. Collector, District Jaipur, Rajasthan
II. The Chief Wildlife Warden Forest Department, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana Institute Area, Jhalana Doongari, Jaipur
III. Rajasthan State Pollution Control Board.

9- The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

10- The report in the matter be field by the committee by email at *ngtczbbho-mp@gov.in* preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

11-Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the Committee within a week

You are hereby nominated as member of the committee on the behalf of the Chief Wildlife Warden Rajasthan the direction to ensure compliance of Hon'ble NGT order and file the compliance report of order dated 20-05-2021. The Hon'ble NGT order dated 20-05-2021 is enclosed with this letter for ready reference.

Chief Wildlife Warden ,
Rajasthan, Jaipur.

No. F 8(225)Vidi/cwlw/2021/ 473-75 Dated 14/06/2021

Copy to:-

1- Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board Jaipur.
2- District Collector, Jaipur Rajasthan.
3- Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Jaipur (North)

Chief Wildlife Warden ,
Rajasthan, Jaipur

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
Phone: 5101871, 5101872, EAPBX: 5159600, 5159699

MOST- URGENT

No. F.10 (357) RPCB/Legal/NGT-Bhopal/2021/ 973

Date: 03/06/21

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur (North).

Sub: - Hon'ble National Green Tribunal order dated 20.05.2021 in Original application no. 11/2021 Rajendra Tiwari Vs Union of India & Ors.

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT by orders dated 20.05.2021 directed inert-alia as follow:-

"8. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present application, from a Joint Committee consisting of:-
I. Collector, District Jaipur, Rajasthan
II. The Chief Wildlife Warden, Forest Department, Government of Rajasthan, Aranya Bhavan, Jhalana Institute Area, Jhalana, Doongri, Jaipur
III. Rajasthan State Pollution Control Board.
9. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
10. The report in the matter be filed by the Committee by email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
11. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the Committee within a week."

You are hereby nominated as member of the committee and also appointed as Nodal Officer on behalf of RSPCB with the direction to ensure compliance of Hon'ble NGT order and file the compliance report of order dated 20.05.2021. The Hon'ble NGT order dated 20.05.2021 is enclosed with this letter for ready reference.

Enclosed-As above

Yours sincerely,

(Dr. Gobind Sagar Bhardwaj)
Member Secretary

Copy to:-

1. CWLW, Forest Department, Aranya Bhawan, Jaipur with the request to ensure compliance of Hon'ble NGT order dated 19.05.2021
2. District Collector, Jaipur with the request to ensure compliance of Hon'ble NGT order dated 20.05.2021.

-Sd-
Member Secretary